न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 106/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/103

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
भैरूगिरी भेला सत्यगिरी निवासी बायोसा का मंदिर,ढाणी सांखला तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा		1.गजेसिंह पुत्र कोलसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी सांखला तहसील कल्याणपुर 2.सुन्दरगिरी भेला नागाबू हाल निवासी ढाणी सांखला तहसील कल्याणपुर 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक– 29/07/2025

1.संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की ओर से मूलवाद बाबत स्थाई निषेघाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कर विवादित भूमि ग्राम ढाणी सांखला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 559/472 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थीगण आए दिन दंखलदान्जी करते रहते है तथा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें के लिए स्थगन आदेश जारी करने बाबत इस्तदुआ चाही गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखतें हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए विवादित भूमि पर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 25.4.2025 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेघाज्ञा इस आशय

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की जारी गई कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2.प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 व 2 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी पक्ष द्वारा जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विवादित आराजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई,जो शामिल पत्रावली है।

3.हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने विप्रार्थी के विरूद्ध दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है,जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूरी संभावना है। ग्राम ढाणी सांखला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 559/472 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर भूमि बायोसा देव स्थान सांखलो की ढाणी में अवस्थित है। प्रार्थी बायोसा मंदिर में पुजारी है और मंदिर मे सेवा का कार्य करते है। विप्रार्थी पक्ष द्वारा बायोसा मंदिर भूमि पर आए दिन दखलदान्जी करने एवं मौका स्थिति फेरबदल करने पर उतारू है,जबकि विप्रार्थी को ऐसा अवैध कार्य करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा कई बार मना किए जाने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की भूमि में दखलदान्जी करने मे बाज नही आ रहे है। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्रार्थी के पक्ष में आए है। अतं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2025 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावें।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थी ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है,क्योकि प्रार्थी की भूमि पर विप्रार्थी द्वारा कभी दंखलदान्जी नही की गई है। प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्रान पेपसिंह व महेन्द्रसिंह मालिकाना स्वामित्व की पटटाशुदा एवं कब्जाशुदा भूमि ग्राम ढाणी सांखला के आबादी क्षेत्र में आबादी के खसरा संख्या 470 में आयी हुई है,जिसका पटटा संख्या 41 मिसल संख्या 29/2020–21 पेपसिंह पुत्र गजेसिंह के नाम से तथा पटटा संख्या 42 मिसल संख्या 30/2020–21 महेन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के नाम बने हुए है,जिसके नाप व पड़ौस का विवरण पटटे में दर्ज अनुसार है। उक्त भूखण्ड आबादी के खसरा संख्या 470 पर अवस्थित है,जिस पर एक मात्र कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 01 व एसके

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

परिवार जन कर रहा तथा मौके पर विप्रार्थी संख्या 01 की रहवासीय तामिरात कमरे इत्यादि बने हुए थे,तदोपरान्त विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त भूखण्डो मे से कुछ भाग पर सन्यासा आश्रम के लिए विप्रार्थी संख्या 02 को भेट की,जिस पर वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पुरानी तामीरात को हटाकर उसी स्थान पर हॉल,कमरा,हवन कुण्ड एवं लेटरीन बाथरूम इत्यादि बनाये जा रहे है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मालिकाना स्वामित्व की कब्जाशुदा एवं पट्टाशुदा भूमि से प्रार्थी को कोई लेना देना या सरोकार नही है। प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवा दिया गया,उक्त स्थगन आदेश की आड़ में विप्रार्थी को उसके कब्जा शुदा भूखण्ड में निर्माण कार्य नही करने दिया जा रहा है। अतं में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम ढाणी सांखला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 559/472 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(1)सर्वप्रथम प्रथम द्रष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबध में विवेचन किया जा रहा है,जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम ढाणी सांखला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 559/472 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर भूमि बायोसा देव स्थान सांखलो की ढाणी मे दर्ज है। प्रार्थी की ओर से मूलवाद स्थाई निषेघाज्ञा का पेश किया गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी वांछित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने का हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी स्थगन आदेश को जारी रखवाने का हकदार है,क्योकि प्रार्थी की भूमि पर स्थगन आदेश हटाने पर विप्रार्थी द्वारा दंखलदान्जी करने के पूरे प्रयास रह सकते है तथा मौका रिपोर्ट में बरंग लाल दर्शित भूमि पर विप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा होना बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में हस्तगत प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि पक्षकारान के मध्य विवाद आगे ओर नही बढे। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी के संबध में प्रार्थी/वादी का वाद स्थाई निषेघाज्ञा बाबत लाया गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

स्थगन आदेश को अपास्त किया जाता है,तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढेगी तथा पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को खुर्द बुर्द किए जाने की संभावना रहेगी। इस कारण सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है,क्योकि यदि स्थगन आदेश को हटाया जाता है,तो विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति में फेरबदल होनी की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। ऐसा फेरबदल होने पर प्रार्थी को ही अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी सूरत में प्रार्थी स्थगन आदेश जारी रखवानें का हकदार है।

7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2025 को मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

:आदेश:

8.उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 02 मौका रिपोर्ट में दर्शित बरंग लाल से कब्जा हटाए तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2025 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर 29/07/25
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29/07/2025को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 29/07/25
(एस.डी.ओ.)बालोतरा